

वैकल्पिक मतदान विधियाँ

सरोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मतदाता भारत में 18वीं लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिये वशिव के सबसे बड़े आम

- चुनाव (आम चुनाव) में मतदान कर रहे हैं, जो सात चरणों में संपन्न होगा।

नागरिकों के लिये मतदान की वैकल्पिक विधियाँ क्या हैं?

- **RPA के अंतर्गत मतदान प्रक्रिया:**
 - **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA), सार्वभौमिक मताधिकार** सुनिश्चित करने के लिये कुछ मतदाताओं को अपवादों के साथ, **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM)** का उपयोग करके निरिदिष्ट मतदान केंद्रों पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का आदेश देता है।
- **डाक मतपत्र:** डाक मतपत्र उन मतदाताओं को दूर से मतदान करने की अनुमति देता है जो मतदान केंद्रों पर उपस्थिति नहीं हो सकते हैं, जैसा कि **RPA की धारा 60** में निरिदिष्ट है।
 - यह पदधतिसामान्य मतदान से तीन प्रकार से भिन्न है:
 - मतदान, मतदान केंद्र के बाहर होता है,
 - यह EVMs द्वारा नहीं होता है।
 - निरिवाचन क्षेत्र में निरिधारित मतदान तथिसे पूर्य ही मतदान संपन्न होता है।
- **पात्रता: चुनाव संचालन नियम, 1961** के नियम-18 के अनुसार, नमिनलखित वर्गों के व्यक्तिडाक मतपत्र द्वारा मतदान के लिये पात्र हैं:
 - **वशिष्ठ मतदाता:** RPA की धारा 20(4) के अंतर्गत घोषित पद धारण करने वाले व्यक्ति, जिनमें **राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, अन्य उच्च पदस्थ गणमान्य व्यक्ति, आदि** और उनके पतिया पत्नी शामिल हैं।
 - **सेवा मतदाता:** **भारतीय सशस्त्र बलों**, अर्धसेनिकि बलों के सदस्य, अपने राज्य के बाहर सेवारत एक सशस्त्र राज्य पुलसि सदस्य या विदेश में तैनात एक सरकारी करमचारी और उनके साथ रहने वाले उनके पतिया पत्नी।
 - **चुनाव ड्यूटी पर मतदाता:** चुनाव ड्यूटी में शामिल आयोग के अधिकारियों से लेकर नजी करमयों तक सभी व्यक्ति शामिल हैं।
 - **RPA 1951 की धारा 60 (c) के अंतर्गत अनुपस्थिति मतदाता:** वर्ष 2019 में **चुनाव आयोग** ने "अनुपस्थिति मतदाताओं" की शरणी बनाई, जिसमें 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, कम से कम 40% विकिलांगता वाले दवियांग व्यक्ति शामिल हैं और ऐसे व्यक्ति जो रेलमार्ग, दूरसंचार, बजिली, स्वास्थ्य, यातायात, विमानन, अग्निशमन सेवाओं एवं अधिकृत मीडिया संगठनों जैसी आवश्यक सेवाओं के करमचारी हैं तथा ऐसे व्यक्ति भी जो **क्रोचडि-19** से प्रभावित हैं, को शामिल किया गया है।
 - **निवारक निरीध के तहत:** निरिवाचकों को **निवारक निरीध** के अधीन किया गया।
- **आवेदन की प्रक्रिया:** डाक मतदान के लिये योग्य व्यक्तियों को एक निरिदिष्ट समय सीमा के भीतर औपचारिक रूप से आवेदन करना होगा, जबकि सेवा मतदाताओं और निवारक हरिसत के तहत आने वाले लोगों को स्वचालित रूप से डाक मतपत्र प्राप्त होते हैं तथा एक बार जारी होने के बाद वे व्यक्तिगत रूप से मतदान नहीं कर सकते हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित डाक मतपत्र प्रणाली (Electronically Transmitted Postal Ballot System- ETPBS):** वर्ष 2016 में नियम 23 में एक संशोधन ने सेवा मतदाताओं के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) की शुरुआत की, जिससे एन्क्रिप्टेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के माध्यम से डाक मतपत्रों की तेज़ी से डलीवरी और पोस्ट के माध्यम से मुफ्त रिटर्न की सुविधा मिल सके।
- **प्रक्रिया:**
 - 2022 में पेश किया गया नियम 18A, चुनाव ड्यूटी पर मतदाताओं को डाक मतपत्रों का उपयोग करके निरिदिष्ट सुविधा केंद्रों पर मतदान करने का आदेश देता है।
 - इसी प्रकार, आवश्यक सेवा (AVES) शरणी में अनुपस्थिति मतदाताओं द्वारा मतदान की सुविधा के लिये डाक मतदान केंद्र (Postal Voting Centre- PVC) के लिये एक उपयुक्त स्थान और कमरे निरिधारित किये जाते हैं।
- **होम वोटिंग:**

- **मानदंड:** देशभर में 81 लाख 85+ वृद्ध मतदाता और 90 लाख से अधिक दवियांग मतदाता मतदाता सूची में पंजीकृत हैं।
- **प्रक्रया:** वरषित नागरिकों और 85 वर्ष से अधिक उम्र के दवियांगों तथा कोवडि-19 संदर्भ/सकारात्मक शरणी के अनुपस्थिति मतदाताओं के लिये, बूथ स्टर के अधिकारी (Booth Level Officers- BLO) फॉर्म 12D देते हैं तथा अनविरय रूप से उनसे पावती प्राप्त करते हैं।
- **विधि:**
 - **एक पृथक मतदान केंद्र में मतदान:** जब एक चुनावी कार्यकर्ता को उनके पंजीकृत नरिवाचन क्षेत्र में नयुक्त किया जाता है, तो उन्हें एक चुनाव कर्तव्य प्रमाण पत्र प्राप्त होता है जो उन्हें उनके निधारति मतदान केंद्र पर मतदान करने की अनुमति देता है; अन्यथा वे डाक मतपत्र के लिये पात्र होते हैं।
 - **प्रॉक्सी वोटिंग:** सशस्त्र और अर्धसैनिक सेवा के सदस्य प्रॉक्सी या डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं; प्रॉक्सी का वकिलप चुनने वालों को 'प्रॉक्सीकृत सेवा मतदाता' कहा जाता है।
 - **सहायता प्राप्त मतदान:** मतदाता वकिलांगता से संबंधित मामलों में पीठासीन अधिकारी 18 वर्ष से अधिक उम्र के साथी की दाहनी तर्जनी पर अमर्टि स्थाही लगाकर उन्हें अपनी ओर से मतदान करने की अनुमति दे सकता है।


मतदान प्रक्रया से अयोग्यता:

- जनि व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) की धारा 171E (जो रशिवतखोरी से संबंधित है) और धारा 171F (जो चुनाव में प्रतरिपुण या अनुचित प्रभाव से संबंधित है) के तहत किये गए अपराधों के लिये दोषी ठहराया जाता है, उन्हें चुनाव में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
- जन प्रतनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 (जो वभिन्न चुनावी अपराधों से संबंधित है), धारा 135 और धारा 136 के तहत अपराधों के लिये दोषी ठहराए जाने वालों को चुनाव से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- यदिकोई व्यक्तिएक से अधिक नरिवाचन क्षेत्रों में मतदान करता है, तो उसका मत (vote) अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।





भारत निर्वाचन आयोग



परिचय

- स्वायत्त संवैधानिक निकाय
- लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन
- स्थापना- 25 जनवरी, 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)

संवैधानिक प्रावधान


भाग XV-अनुच्छेद 324 से 329

संरचना

- 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)
- कार्यकाल - 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त- सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र
- मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना- सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव

प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण
- मतदाता सूची तैयार करना और उसका पुनरीक्षण करना
- चुनाव कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना
- राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना
- राजनीतिक दलों के लिये "आदर्श आचार संहिता" जारी करना



II

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????????????

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारत का निर्वाचन आयोग पाँच-सदस्यीय निकाय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. निर्वाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के वभाजन/वलिय से संबंधित विवाद निपटाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. भारत के संविधान के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्तिजो मतदान के लिये योग्य है, किसी राज्य में छह माह के लिये मंत्री बनाया जा सकता है तब भी जब कि वह उस राज्य के विधान-मंडल का सदस्य नहीं है।
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्तिजो दांडकि अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे पाँच वर्ष के लिये कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिये स्थायी तौर पर निरिहत हो जाता है भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/alternative-voting-methods>